निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 22 /अपील/18

भैरूलाल बायु 50 साल आ0 पूरीलाल जाति मेघवाल नि0 हनोतिया धरोनिया तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.11.17 न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा मिसल न0 291/17

उपस्थितः— श्री रमेशचन्द मेघवाल अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :— **दिनांकः 24.05.2018**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 24.11.2017 जो मिसल न0 291/17 पर दिया गया जिसमें अपीलान्ट को ग्राम कचराखेडी की चरागाह की आराजी ख0न0 119 की 01 बीघा भूमि पर अतिक्रमी मानकर फसल निलामी व 57/—रू. शास्ती आरोपित करते हुए 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एंव पत्रावली संग्रह सार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही देकर उसकी अनुपस्थिति में निर्णय दिया है । अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोड दिया उसके द्वारा सम्पूर्ण जुर्माना राशि जमा करवादी गई है। चंवली बांध के निर्णाण के समय ग्राम हनोतिया धरोनिया की भूमि डूब में आने से ग्राम वासीयान को कचराखेडी में बसाया था यह भूमि सिंचाई विभाग द्वारा दी गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निणय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही है कब्जा हटा लिया गया है व पेनेल्टी की राशि भी जमा राज करवादी गई है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने पर ही सजायाब किया गया है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल न0 1487/16 निर्णय दिनांक 09.11.2016 से अपीलान्ट को उक्त आराजी पर से बेदखल किया जाकर 58/— रू. की शास्ती से दण्डित किया गया था जिसका अंकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर से अतिक्रमण नही हटाया गया है जिसकी पुष्ठी अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न रिपोर्ट पटवारी से होती है। अपीलान्ट का यह कृत्य पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा द्वारा पारित निर्णय में हम किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से किसी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़